दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना का संक्षिप्त विवरण –

1– **पात्रता–** ऐसे निराश्रित दिव्यांगजन जिनकी मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत तक हो तथा उसकी स्वयं की आय अथवा अभिभावक की आय सीमा गरीबी रेखा की आय सीमा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/– तथा शहरी क्षेत्र में रू0 56460/– वार्षिक आय हो , उन्हें 300/ प्रतिमाह की दर से दिव्यांग भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन)प्रदान की जाती है तथा ऐसे दिव्यांगजन (चाहें दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) कुष्ठ रोग के कारण हुए दिव्यांगजन को प्रतिमाह कुष्ठावस्था पेंशन के रूप में रू0 2500/–की दर से प्रतिमाह अनुदान दिया जाता है ऐसे पात्र दिव्यांगजनों के आवेदनपत्र ऑनलाईन द्वारा विभागीय बेवसाइड http//sspy-up.gov.in/indexHANDICAP.axap पर ऑनलाईन प्राप्त किये जाते है। हार्डकापी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्ति उपरान्त शहरी क्षेत्र के आवेदनपत्र सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवदेनपत्र खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति उपरान्त पात्र पाये जाने पर जिलाधिकारी महोदय, झाँसी की स्वीकृति उपरान्त निदेशालय,दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उ0प्र0लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जाता है ।

1–सम्बन्धित निराश्रित दिव्यांगजन के पास मुख्य चिकित्साधिकारी/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झाँसी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40 प्रतिशत तक दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो ।

2–उम्र सीमा 18 वर्ष तक हो ।

3–आय प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत हो ।

4–सी0बी0एस0बैंक खाता ।

5–आधार कार्ड/मोंबाइल नम्बर ।

2–कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना– –ऐसे निराश्रित दिव्यांगजन जिनकी मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत तक हो,चलने–फिरने मे असमर्थ हों तथा अधिकतम आय प्रति परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080.00 एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460.00 तक वार्षिक हो ,मेडिकल बोर्ड की संस्तुति के आधार पर विशेष शिविर के माध्यम से (ट्राईसाईकिल,बैसाखी,व्हीलचेयर,कान की मशीन आदि) निःशुल्क प्रदान किये जाते है ।

3–दुकान संचालन योजना—ऐसे निराश्रित दिव्यांगजन जिनकी मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत तक हो तथा अधिकतम आय सीमा बी0पी0एल0 के दुगुने से अधिक न हो,उन्हें प्रथम आवत–प्रथम पावत के आधार पर स्वरोजगार हेतु कुल रू0 10000.00 (रू0 7500/– 4 प्रतिशत साधारण वार्षिक व्याज की दर से एवं 2500/–अनुदान) दिया जाता है ।

4–दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना– –ऐसे निराश्रित दिव्यांगजन जिनकी मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत तक हो तथा दम्पत्ति आयकर दाता की श्रेणी मे न आते हों,योजनान्तर्गत पात्र होगे । आवेदनपत्र सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के माध्यम से पात्रता की शर्तो के अनुसार जॉचोपरान्त पात्र पाये जाने पर जिलाधिकारी महोदय, झाँसी की स्वीकृति उपरान्त (वर के दिव्यांग होने पर रू0 15000.00 , वधू तथां वर + वधू दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 20000.00) की दर से प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदत्त किया जाता है । योजनाओं में पात्र दिव्यांगजनों को लाभान्वित किये जाने हेतु प्रेस विज्ञप्ति/समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करवाते हुए पात्र आवेदकों के आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त किये जाते हैं ।

5–उ0प्र0सड़क राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजन को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्राप्त करने हेतु निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा–2 में परिभाषित दिव्यांगता की श्रेणी में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दिव्यांगजन प्रमाणपत्र धारी व्यक्ति यात्रा का पात्र होगा । उक्त निःशुल्क यात्रा के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी का पंजीकरण संख्या,हस्ताक्षर व मोहर का अंकन किया जाना अनिवार्य नही होगा ।

विशेष जानकारी के लिए टेलीफोन नं0–0510–2333773